

10 <sup>07</sup>/<sub>2024</sub>

पत्रावली पेश हुई P.O. साहब मीठीगं में  
पिल्लोडगढ़ पधारने से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
12/7/2024 को पेश की जावे।

B.O.  
S.D.O.

12 <sup>07</sup>/<sub>2024</sub>

पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार  
न्यायालय में उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा वदस अंतिम  
सुनाने का अवसर चाहा जा दिया जाता है। पत्रावली  
वास्तविक वदस अंतिम दिनांक 25/07/2024 को  
पेश की।

25 <sup>07</sup>/<sub>2024</sub>

पत्रावली पेश हुई P.O. साहब  
राजक्रय में व्यस्त होने से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
6/8/24 को पेश की जावे।

B.O.  
S.D.O.

06 <sup>08</sup>/<sub>2024</sub>

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार न्यायालय  
में उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा वदस अंतिम सुनाने  
का अवसर चाहा जा दिया जाता है। पत्रावली वास्तविक  
वदस अंतिम दिनांक 20/08/2024 को पेश की।

S.D.O.

20 <sup>08</sup>/<sub>2024</sub>

पत्रावली पेश हुई... अ.प्र.भाषक संघ द्वारा  
न्यायालय में उपस्थित कराने से  
अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक  
21/8/24 को पेश की जावे।

B.O.  
S.D.O.

21 <sup>08</sup>/<sub>2024</sub>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय  
में अनुपस्थित। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय  
द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग  
समय पर आवाज लगाई गई वातजूद प्रार्थी व वकील  
प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी  
रावतभाटा (पिल्लोडगढ़)



## फर्द अहकाम

(नियम 26)

ज अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

विश्वानलाल

बनाम

भूमिधारी लक्ष्मीदेवरा रावतभाटा

केसम मुकदमा

प्रार्थना पत्र

नं०

111

सन्

2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>में अकरण में प्रार्थी की ओर से पेशी हेतु उपस्थित नहीं होने से पत्रावली इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हैं।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	